यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 08.12.2017 से 18.12.2017 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वनय कुमार द्विवेदी एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 25.01.2017 से 03.02.2017 तक तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कर संग्रह

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	8243.80
2015-16	10723.89
2016-17	11147.83

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोज नागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
201 4-1 5						
201 5-1 6				शून्य		
201 6-1 7						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वाः माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर सं0 :– 01 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.69 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–58 की उपधारा–8 के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–प्रथम वाण्ज्यि कर हल्द्वानी के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि माह 04/2016 से माह 03/2017 तक में निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा अपने देय कर बिलम्ब से जमा किया जाना पाया गयाः–

क्र0 सं0	व्यौहारी का नाम एवं पता	कर निर्धारण वर्ष	कर की देय तिथि	जमा की दिनॉक	धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	सर्वश्री अम्बिका आटोव्हील्स प्रा0लि0 हल्द्वानी	2012–13	12/2012 03/2013	29.01.13 27.12.13	521320.00 11840.00	52132.00 1184.00
2.	सर्वश्री जय मोटर्स हल्द्वानी	2014–15	06/2014	31/07/14	156678.00	15668.00
योग					**869838.00**	**68984.00**

उक्त ₹.68984.00 अनारोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः अनारोपित अर्थदण्ड ₹ 68984.00.00 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग–दो "ब"

प्रस्तर सं0 :– 02 अनियमित आई0टी0सी0 एवं अर्थदण्ड ₹0.71 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची–दो (ख) के क्रमांक 105 के अनुसार सभी प्रकार और सभी रुपों में मसालों की बिक्री पर पॉच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा, साथ ही धारा 58 की उपधारा (1)(XI) के अनुसार **कोई व्यापारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में कसी धनरा श का गलत दावा करता है तो ₹5000 या दावाकृत धनरा श का तीन गुना, जो भी अ धक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।**

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–प्रथम वाण्ज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो के अनुसार ब्यौहारी सर्व श्री मानक चन्द एण्ड संन्स हल्द्वानी एक पंजीकृत व्यौहारी है। व्यौहारी के कारोबार वर्ष 2013–14 को कर निर्धारण आदेश धारा 25(7) के अन्तर्गत दिनॉक 04–03–2017 द्वारा निस्तारित किया गया। करनिर्धारण आदेश व पत्रावली की जॉच के दौरान पाया गया कि मसालों की खरीद पर 13.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 दिया गया।

क्र0 सं0	दिनॉक	**क्रय की गयी** सामग्री	धनराशि रु. में	क्लेम की गयी आई0टी0सी0	आई0टी0सी0 जो देय थी	वापसी योग्य आई0टी0सी0
1.	01.01.14	मसाले	27416.00	3701.00	1370.80	2330.20
2.	20.03.14	तदैव	74516.00	10060.00	3725.80	6334.20
3.	27.03.14	तदैव	72269.00	9756.00	3613.45	6142.55
4.	28.03.14	तदैव	35354.00	4773.00	1767.70	3005.50
योग						17812.25

उक्त ₹17812.25 अनियमित आई0टी0सी0 एवं अर्थदण्ड ₹53436.75 कुल वापसी योग्य धनराशि ₹71249 (₹53436.75+₹17812.25) थी, जिसके सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः **₹71249 की राजस्व क्षति** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग–दो "ब"

प्रस्तर सं0 :–03 कर की अनियमित छूट ₹2.05 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 12(8) (क) के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति प्रपत्र सी के घोषणा पत्र को हस्ताक्षरित व प्रमाणित करेगा तथा प्रमाण–पत्र को उपबन्धित रीति से सत्यापन करेगा। अर्थात घोषणा पत्र में यदि किन्ही कारणों से कटिग की जाती है तो उस पर प्रतिहस्ताक्षरित करेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर–प्रथम वाण्ज्य कर हल्द्वानी के अभिलेखो के अनुसार ब्यौहारी सर्व श्री शारदा इण्डस्ट्रीज हल्द्वानी एक पंजीकृत व्यौहारी है। व्यौहारी के कारोबार वर्ष 2013–14 को कर निर्धारण आदेश धारा 9(2) के अन्तर्गत दिनॉक 04–03–2017 द्वारा निस्तारित किया गया। कर निर्धारण आदेश व पत्रावली की जॉच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी द्वारा प्रपत्र सी0 सं0 पी0बी0/एए/सी–8732168 के बिरुद्ध ₹1778432.00 का रोजिन तारपीन की बिक्री की गयी किन्तु दिनॉक 13.08.14 व 09.09.14 के स्थान पर ओवर राइटिंग करते हुए 13.08.13 व 09.09.13 किया गया, किन्तु इसे सम्बन्धित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही किया गया। उक्त प्रपत्र पर उल्लिखित धनराशि ₹1778432.00 पर नियमानुसार छूट अनुमन्य नही थी। **चूंक व्यापारी द्वारा रोटिन तारपीन पर 13.5 प्रतिशत की दर से बिक्री स्वीकार की गयी है। अतः** अन्तरीय दर 11.5 प्रतिशत (13.5-2) से . ₹204519.68 (1778432×11.5%) अनियमित छूट दिये जाने के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः अनियमित कर छूट ₹204520 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्री राकेश वर्मा	डी0सी0	01.04.16 से 20.07.16 तक
(ii)	श्री निशीकान्त संह	डी0सी0	20.07.16 से 24.08.16 तक
(iii)	श्री राहुल वर्मा	डी0सी0	24.08.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर - प्रथम (कर निर्धारण) हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र